फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

क्लीन विन्ड पॉवर प्रा.लि.रजि
बनाम
शिम्भुलाल वगै.

किस्म मुकदमा विविध न. 03 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2021	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर अवकाश पर होने से पत्रावली बाद जांच प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री निषांक मदान ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया। प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04, आदेश 41 नियम 19 धारा 151 जाब्ता दीवानी मय शपथ–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश प्रार्थी वकील की कोरोना काल की वजह से केवल दो बार अनुपस्थिति के कारण पारित किया गया। अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायहित में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपील को पुनः बरामद करने के आदेश पारित किये जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना लाजमी है। उसके द्वारा प्रस्तुत अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना ज्यादा सार्थक है। अतः प्रार्थी का आवेदन इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि अपीलांट तीन दिवस के भीतर रेस्पोडेंटस के नाम रजिस्टर्ड सम्मन आवश्यक रूप से पेश कर बाद भिजवाये डाक रसीदे प्रस्तुत कर दे। अपील पत्रावली पुनः पुराने नंबर पर दर्ज हो। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।	